जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,धनबाद।

–:अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण :–

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड के पत्रांक एन 473 दिनांक 21.05.2020 के संदर्भ में अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड,रॉची के पत्रांक एन 526 (अनु0) दिनांक 03.06.2020 तथा पत्रांक एन 550 दिनांक 05.06.2020 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना (MMHGY) में आम, अमरूद्ध एवं कागजी नींबू की गुणवत्ता पूर्ण खरीदारी हेतु राज्य स्तर पर 15 नर्सरियो का Empanelled किया गया है। उक्त पत्र के अनुपालन में मनरेगा अन्तर्गत धनबाद जिला के सभी प्रखण्डों में बागवानी में प्रयुक्त होने वाले आम, अमरूद्ध एवं कागजी नींबू की खरीदारी एवं उसे कार्यस्थल तक ससमय पर उपलब्ध कराने हेतु Empanelled सूची से नर्सरियों का चयन किया जाना है। Empanelled मे से ईच्छुक नर्सरी /पौधशालाओं से इकाई दर निर्धारण हेतु दिनांक 24.06.2020 के अप0 02:00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, धनबाद में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा को उसी दिन समय अप0-03:00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष चयन हेतु कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।

पौधो की खरीदारी से संबंधित शर्त्त निम्न प्रकार से है–

	पौधा का प्रकार		
	आम	अमरूद्ध – grafting / Layered	कागजी नीबू – grafting / Layered
शर्त्त एवं विशेषता	1. grafting आम पौधा आम्रपाली, मल्लिका, हिम सागर, लंगडा, मालदाह एवं गुलाबखास आदि प्रजाति हो। 2. पौधा का कलम सिर्फ Veneer graft पद्धति से तैयार होना चाहिए। 3. पौधो का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो। 4. पौधो में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नही हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes हो। 5. पोधो की उम्र कम से कम 2 वर्ष हो। 6. पौधा में जहॉ कलम (grafting) किया गया हो उसके उपर (Scion) व नीचे के तने (Stock) की मोटाई समान हों। 7. Stock की लम्बाई 01–1.5 फीट हो। 8. पौधा के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black polythene bag) का आकार 6"x7" से 9"x11" होना चाहिय। पौधा का जड स्वस्थ व अधिक घना हो।	1. पौधा अलाहाबाद सफेदा, अल्का मृदुला व लखनउ–49 (L-49) प्रजाति का ही हो। 2 पौधा कलमी या Air layering होना चाहिए। 3. पौधो का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो। 4. पौधो में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नही हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes हो। 5. पोधो की उम्र कम से कम 1 वर्ष से अधिक हो। 6. पौधा के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black polythene bag) का आकार 6"x7" से 9"x11" का होना चाहिय। पौधा का जड स्वस्थ व अधिक घना हो।	1 पौधा सिर्फ कागजी एवं साई शर्वती प्रजाति का ही हो। 2. पौधा कलमी या Air layered होना चाहिए। 3. पौधो का लम्बाई 2' से अधिक व 4' के बीच हो। 4 पौधो में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नही हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes हो। 5. पोधो की उम्र कम से कम 1 वर्ष से अधिक हो। 6. पौधा के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black polythene bag) का आकार 6"x7" से 9"x11" होना चाहिये।

पौधो की विशिष्टता के क्रम में विभागीय पत्रांक एन 526 दिनांक 03.06.2020 द्वारा उल्लेखित विशिष्टयों के अन्तर्गत किया जाएगा।

निविदादाता को निविदा तकनीकी एवं वित्तीय बिड दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा मे एवं दोनो लिफाफा को एक एक लिफाफा में मुहरबंद कर देना अनिवार्य होगा।

तकनीकी बिड–

1. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र
2. नर्सरी / पौधशाला से संबंधित प्रमाण पत्र
3. आयकर रिटर्न प्रमाण प्रमाण पत्र (विगत तीन वर्ष का)
4. प्रतिभूति की राशि के रूप में 5000.00 (पॉच हजार) रूपये का बैंक ड्राफट जो उप विकास आयुक्त,
5. धनबाद के पदनाम से भुगतेय हो, संलग्न किया जाय।
6. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
7. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उनका फर्म किसी
8. सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
9. निविदादाता एवं आपूर्तिकर्त्ता के स्थानीय को वरीयता दी जाएगी।
10. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

वित्तीय बिड

प्रत्येक पौधा का प्रति पौधो की दर,अलग–अलग शुल्कों के साथ दर विवरणी।

निविदा दिनांक 24.6.20 को समय 2:00 अपराह्न बजे तक प्राप्त किया जायेगा एवं निविदा उसी तिथि को समय 03:00 अपराह्न में क्रय समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

1. निविदादाता का निविदा खुलने के दिन पौधे का नमूना शर्त्तो के अनुरूप लाना अनिवार्य है।
2. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर पौधो की आपूर्ति संबंधित प्रखण्ड में कार्य स्थल पर करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए अन्य कोई अतिरिक्त राशि/भत्ता देय नही होगा। आपूर्तिकर्त्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुको से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही पंचायत में जमा करेंगे।
3. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय सीमा के अन्दर पौधे की आपूर्ति नही करते है अथवा आपूर्ति की शर्त्तो के मुताबीक गडबडी करते है तो निविदा रद् करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. सशर्त्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी एवं निविदा की शर्त्तो में संशोधन करने या बिना कारण बतायें निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत या रद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
5. क्रय समिति द्वारा निर्धारित/स्वीकृत दर अंतिम रूप से मान्य होगा।

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
धनबाद।

ज्ञापांकः–740 /डी0आर0डी0ए0, धनबाद दिनांक 13/06/2020

प्रतिलिपिः– Empanelled नर्सरी / पौधशालाओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी मुख्य समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था–सह– वेब मैनेजर,धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को धनबाद जिला के वेबसाईट www.dhanbad.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

13/06/20

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
धनबाद।

scan-78
13.06.20